

### कार्यालय-जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक / ११८३०

/ 2018-19

दिनांक - १८।०९।१८

प्रमाण-पत्र

सेन्ट जेवियर्स स्कूल मऊ रोड सम्मोपुर, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 23.05.2017 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि शासनादेश सं0 419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में कार्यालय के पत्रांक 1701-04-2015-16 दिनांक 30.04.2015 द्वारा सेन्ट जेवियर्स स्कूल मऊ रोड सम्मोपुर, को L.K.G से 08 तक के लिए मान्यता प्राप्त है तथा मान्यता की तिथि से विद्यालय अनवरत संचालित है।

(दंयेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
आजमगढ़

Attested /  
  
PRINCIPAL  
St. Xavier's School (70158)  
Sammopur, Azamgarh

~~Blanche~~  
Manager  
St. Xavier's School  
Sammapur, Aligarh

पत्रांक-  
रोडा मे 1701-04

/2015-16

दिनांक- 30-4-15

विषय-

महोदय,

**प्रबन्धक  
सेट ऑफिसियल स्कूल एड विभाग  
आजमगढ़।**

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

निर्देश से मे **सेट ऑफिसियल स्कूल एड विभाग आजमगढ़** को दिनांक-01 जुलाई, 2014 से दिनांक-30 जून, 2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा L.K.G. से 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थ्यति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमज़ोर दर्गा और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपबन्ध करायेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपचारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथम बैक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संयुक्त नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्फीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सदूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आदरशक्तिओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पौंछ वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अजिंत करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

~~Blank~~ \_\_\_\_\_  
Manager  
St. Xavier's School  
Sammopur, Azamgarh

Affected ! *[Signature]*

PRINCIPAL  
St. Xavier's School (2015)  
Sammopur, Azamgarh

विद्यालय अधिनियम की घरा 19 मे यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9- विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखओं की किसी चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उद्यित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2015/2016) है। कृपया इसे नोट करते और इस कार्यालय के साथ किसी पत्रावार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करत है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपासन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।

17- संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त:-

भवदीय,

*Shinde*

(राकेश कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आजमगढ़।

पृष्ठों/ /2015-16/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

2- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ बघ्गल आजमगढ़।

3- सम्बिधि खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

*After ref!*

~~Principal~~  
Manager

Xavier's School  
Sammopur, Azamgarh

PRINCIPAL  
St. Xavier's School (70158)  
Sammopur, Azamgarh

(राकेश कुमार)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
आजमगढ़।